रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 499] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 9, 2011/भाद्र 18, 1933

No. 499] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 9, 2011/BHADRA 18, 1933

पोत परिवहन मंत्रालय

(दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय)

अधिसूचना

नोएडा, 5 सितम्बर, 2011

सा.का.नि. 669(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय (समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय पद) भर्ती नियम, 2006 को, जहाँ तक उसका संबंध आशुलिपिक श्रेणी-II एवं आशुलिपिक श्रेणी-III के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, पोत परिवहन मंत्रालय, दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय में आशुलिपिक श्रेणी-II के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, पोत परिवहन मंत्रालय, दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय, आशुलिपिक श्रेणी-II समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**— पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं, आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हताएं.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन-बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतन मान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. आशुलिपि श्रेणी-II	3* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय ।	वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु.	लागू नहीं ।	18 से 27 वर्ष के बीच । (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सामान्य अभ्यर्थियों के मामले में सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।) **टिप्पण 1** : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) । **टिप्पण 2** : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी ।

सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड अथवा समतुल्य से 10 + 2 उत्तीर्ण । (i) कुशल परीक्षा प्रतिमान । श्रुतलेख: 10 मिनट @ 80 शब्द प्रति मिनट । लिप्यांतरण : 50 मिनट (अंग्रेजी) 65 मिनट (हिंदी) (कंप्यूटर पर)	लागू नहीं होता ।	दो वर्ष ।

(7)
टिप्पण :—अर्हताएं अन्यथा सुअर्थित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं ।

भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा ।
(10)	(11)
कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीधी भर्ती । **टिप्पण** : पदस्थ के एक वर्ष अथवा इससे अधिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर जाने पर अथवा लंबी बीमारी अथवा अध्ययन अवकाश अथवा अन्य परिस्थितियों में रिक्त होने वाले पदों को केन्द्रीय सरकार के उन कर्मचारियों द्वारा जिन्होंने सदृश पद धारण किए हुए हों और सीधी भर्ती हेतु स्तंभ (7) के अधीन निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं धारण की हों ।	लागू नहीं होता ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिकरण हेतु) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी : 1. ज्येष्ठतम उप महानिदेशक, दीपस्तंभ और दीपपोत —अध्यक्ष 2. प्रशासनिक अधिकारी, दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय —सदस्य 3. मंत्रालय अथवा केन्द्रीय सरकार के अन्य किसी विभाग के समूह 'क' का एक अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. 3/1/2011-प्रशा.-I]

कै. ए. एम. सूरज, महानिदेशक

MINISTRY OF SHIPPING

(Directorate General of Lighthouses and Lightships)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September, 2011

G.S.R. 669(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate General of Lighthouses and Lightships (Stenographer Grade-II and Stenographer Grade-III (Group 'C' Non-Gazetted, Ministerial Posts), Recruitment Rules, 2006, in so far as they relates to the post of Stenographer Grade-III, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment for the post of Stenographer Grade-II, in the Ministry of Shipping, Directorate General of Lighthouses and Lightships, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Shipping, Directorate General of Lighthouses and Lightships, Stenographer Grade-II, Group 'C' Post, Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.**—The number of said post, its classification pay Band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person;

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non selection	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Stenographer Grade-II	3* (2011) *Subject to variation dependent on workload	General Central Services Group 'C' Non-Gazetted, Ministerial	Pay Band-1 ₹5200–20200 plus Grade Pay ₹2400	Not applicable	Between 18 and 27 years. (Relaxable for Government servants upto the age of forty years in the case of general candidates and upto forty five years in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note 1** : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshdweep).

(6)
Note 2 : The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
(i) 10+2 pass from a recognised Board or equivalent. (ii) Skill Test Norms Dictation: 10 minutes @ 80 words per minute. **Transcription :** 50 minutes (English) 65 minutes (Hindi) (On Computer). **Note :** The qualification is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in case of candidates otherwise well qualified.	Not applicable	Two years

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made
(10)	(11)
Direct recruitment through Staff Selection Commission. **Note :** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation from the officials of the Central Government holding analogus post on regular basis and possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column 7.	Not applicable.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of : 1. Seniormost Deputy Director General of Lighthouses and Lightships —Chairman 2. Administrative Officer, Directorate General of Lighthouses and Lightships —Member 3. A Group 'A' Officer from Ministry or any other Department of the Central Government —Member	Not applicable.

[F. No. 3/1/2011-Admn-I]

CAPT. A. M. SUREJ, Director General

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

3402G011-2